L-50

LL.M.-II Semester LL.M. EXAMINATION, MAY 2018 Constitutional Law of India-II (L-2001)

Note: Answer any five questions. Each question carries 20 marks.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है।

- 1. The Indian federalism has experienced a change from rigid to dynamic approach. Discuss critically. भारतीय संघवाद में अनम्यता (कठोरता) से गतिशीलता की ओर परिवर्तन का अनुभव किया है। आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
- 2. How the procedure of appointment and transfer of Judges affects the independence of Judiciary? Discuss critically with the help of decided cases. न्यायाधीशों के नियुक्ति और स्थानान्तरण की प्रक्रिया कैसे न्यायिक स्वतन्त्रता को प्रभावित करती हैं? निर्णीय वादों की सहायता से आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
- •3. What do you mean by "Amendment"? To what extent the Parliament can amend the Indian Constitution? Discuss critically with the help of decided cases. "संशोधन" से आप क्या समझते हैं? संसद भारतीय संविधान को किस सीमा तक संशोधित कर सकती है? निर्णीत वादों की सेहायता से आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
 - 4. The Court, through judicial interpretation, has shifted from traditional concept of Civil tort to modern concept of constitutional tort in determining the tortious liability of State. Discuss critically with the help of decided cases. राज्य की अपकृत्यात्मक दायित्व का निर्धारण करने के लिए न्यायपालिका ने न्यायिक निर्वचन के माध्यम से परम्परागत अवधारणा सिविल अपकृत्य से आधुनिक अवधारणा संवैधानिक अपकृत्य की ओर रुख किया है। निर्णीत वादों की सहायता से आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
 - 5. India had adopted a British concept of Parliamentary form of Government. However, some legal luminaries have

advocated for the adoption of Presidential form of Government in India. Do you agree? Discuss critically.

पारत ने ब्रिटिश अवधारणा वाली संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनाया है। भारत ने ब्रिटिश अवधारणा वाली संसदीय प्रणाली की सरकार को अपनान यद्यपि, कुछ विधि के विद्वान भारत में राष्ट्रपित प्रणाली की सरकार को अपनान की वकालत कर रहे हैं। क्या आप सहमत हैं? आलोचनात्मक विवेचना की जिए।

- 6. What do you mean by Parliamentary Privilages? Discuss critically with the help of decided cases the Parliamentary Privilages available to Member of Parliaments.
 - संसदीय विशेषाधिकार से आप क्या समझते हैं? निर्णीत वादों की सहायता से संसदीय विशेषाधिकार से आप क्या समझते हैं? निर्णीत वादों की सहायता से संसदीय विशेषाधिकार की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
- 7. The provision of state emergency as contained under Article 356 has been misused many a times by the Union Government for political considerations. The court has endeavoured to check such misuse. Discuss the state emergency in the light of above statement. Refer to decided cases.
 - अनुच्छेद 356 में उल्लिखित राज्य आपात का प्रावधन संघ सरकार द्वारा राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिएं, अनेकों बार दुरुपयोग किया गया है। न्यायालय ने इस दुरुपयोग को रोकने का प्रयास किया है। इस कथ्न के आलेक में राज्य आपात की विवेचना कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए
- 8. In India an attempt has been made through Article 301 to 307 of Indian Constitution to create and preserve a national economic fabric to remove and prevent local barriers to economic activity, to remove impediments in the way of inter-state trade and commerce and thus to move the country as one single economic unit so that the economic resources of all the various units may be utilized to the common advantages of all. Discuss with the help of decided cases.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के आर्थिक ढाँचे के स्जन और संरक्षण को और आर्थिक क्रिया-कलापों में स्थानीय अवरोध को हटाकर, अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के मार्ग में उपस्थित अवरोधों को

- दूर करने और इस प्रकार को राज्य को एक स्वतन्त्र आर्थिक इकाई के रूप में बनाने हेतु, जिससे विभिन्न इकाइयों के आर्थिक स्रोत का सार्वजनिक हित के लिए उपभोग किया जा सके, प्रयास किया गया है। निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।
- 9. In order to create a balance between the Centre and State Governments in relation to distribution of legislative powers the Govt. has evolved various doctrines. Discuss critically those doctrine with the help of decided cases. विधायी शक्तियों के बँटवारे के सम्बन्ध में राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच सन्तुलन स्थापित करने हेतु सरकार ने विभिन्न सिद्धान्तों का विकास किया है। निर्णीत वादों की सहायता से इन सिद्धान्तों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
- 10. With the help of decided cases examine the provision of National Emergency as contained under Article 352 of the Indian Constitution. Discuss its effects also. निर्णीत वादों की सहायता से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत उपबन्धित राष्ट्रीय आपात प्रावधान का परीक्षण कीजिए।